न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 19/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/53

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री धरमा/ हुरजी पूर्व उचित मूल्य
दुकानदार ग्राम पंचायत चडला, भाग
द्वितीय, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 06–12–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक घाटोल द्वारा अप्रार्थी डीलर की दुकान की जांच कर दिनांक 04.04.2020 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुताबिक जांच मौके पर दुकान बंद पायी गई। डीलर के पुत्र को मौके पर बुलाकर तथा गोदाम खुलवाने के पश्चात् जांच करने पर उसमें 101.14 क्विं. गेहुं स्टॉक में पाया गया, जो कि माह अप्रेल का अतिरिक्त गेहूं था।

उचित मूल्य दुकानदार धरमा/ हुरजी एफपीएस कोड 5928 को माह मार्च 2020 में प्राप्त माह मार्च 2020 का आवंटित गेहूं 117.20 क्विं. और माह अप्रेल 2020 का आवंटित गेहूं 107.39 क्विं. जिसकी कुल मात्रा 224.59 क्विं. में से दिनांक 22.03.2020 तक 107.15 क्विं. गेहूं बायोमेट्रिक सत्यापन से वितरीत किया। इसके बाद दिनांक 23.03.2020 से कोविड 19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा बायोमेट्रीक सत्यापन पर रोक लगाकर राशन वितरण ओटीपी के माध्यम से एवं किसी कारण से ओटीपी के माध्यम से वितरण नही होने पर बिना ओटीपी पोस मशिन में ऐट्री कर वितरण करने एवं अप्रेल के गेहूं का वितरण माह मार्च में प्रारंभ करने के निर्देशो का दुरुपयोग करते हुए डीलर द्वारा शेष मात्रा 117.44 क्विं गेंहू का वितरण दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक बिना ओटीपी के माध्यम से करना पाया गया। जबकि उपभोक्ताओ से पुछताछ में किसी भी उपभोक्ता को माह अप्रेल 2020 का गेहूं नही दिया जाना पाया गया। तस्दीक करने पर राशनकार्डो में वितरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:52:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दर्ज नही पाया गया। डीलर द्वारा 30 ट्रांजेक्शन द्वारा 30 किलो चीनी और 99 ट्रांजेक्शन बिना ओटीपी के 246 लीटर केरोसीन वितरण करना पाया जो कि फर्जी तरिके से उठाकर उपभोक्तो को वितरीत नही किया गया।

उचित मूल्य दुकानदार धरमा/ हुरजी द्वारा 117.44 क्विंटल गेहूं, 30 किलो चीनी और 246 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओ को वितरीत नही करके खुर्द बुर्द किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 09, 10, 11, 14, 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना खमेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 28.12.2021 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 820/1995 निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर श्री धरमा/ हुरजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चडला, भाग द्वितीय, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किए गए 117.44 क्विं गेहूं की जिसकी राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 317088/–रु. 30 किग्रा चीनी जिसकी राशि 4000 रु प्रति क्विं की दर से 1200/– एवं 246 लीटर केरोसीन की राशि 325422/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 325422/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 08.08.2024 को श्री प्रभुलाल निनामा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में गबन की राशि जमा कराने हेतु 3 माह की मोहलत चाही गई।

तत्पश्चात् पेशी दिनांक 29.08.2024, 12.09.2024, 09.10.2024, 24.10.2024, 14.11.2024 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 06.12.2024 को भी अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किन्तु अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार धरमा/ हुरजी द्वारा 117.44 क्विंटल गेहूं, 30 किलो चीनी और 246 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओ को वितरीत नही करके खुर्द बुर्द किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 09, 10, 11, 14, 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना खमेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 28.12.2021 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 820/1995 निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर श्री धरमा/ हुरजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चडला, भाग द्वितीय, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किए गए 117.44 क्विं गेहूं की जिसकी राशि 2700 रु. प्रति क्विं. की दर से 317088/–रु. 30 किग्रा चीनी जिसकी राशि 4000 रु प्रति क्विं की दर से 1200/– एवं 246 लीटर केरोसीन की राशि 325422/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया गया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार धरमा/ हुरजी द्वारा 117.44 क्विंटल गेहूं, 30 किलो चीनी और 246 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओ को वितरीत नही करके खुर्द बुर्द किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 09, 10, 11, 14, 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना खमेरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय के निर्णय दिनांक 28.12.2021 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 820/1995 निरस्त किया गया है। डीलर के गोदाम में 117.44 क्विं. गेहु, चीनी 30 किग्रा, केरोसीन 246 लीटर कम पाया गया, इस प्रकार डीलर द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। 117.44 क्विं. गेहु, चीनी 30 किग्रा, केरोसीन 246 लीटर की राशि विभाग अनुसार 325422/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री धरमा/ हुरजी पूर्व उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत चडला, भाग द्वितीय, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 117.44 क्विं. गेहु, चीनी 30 किग्रा, केरोसीन 246 लीटर की राशि विभाग अनुसार 325422/– रु अक्षरे रुपया तीन लाख पच्चीस हजार चार सौ बाईस रुपया की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (रा.)

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 10:57:34 IST
Reason: SelfAttested